2018/03019

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर, जिला बीकानेर

सरकार .... बनाम श्री ....

किस्म मुकदमा – भू.रा.अ. ~~1964 की धारा~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 11/18 वर्ष 2018 ....

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश के ....
22/1/18	पटवारी हल्का .... की रिपोर्ट पर पत्रावली पुरजीव की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक .... के खसरा नं./मु.नं. 130 .... तादादी .... बीघा में से राजकीय भूमि पर रकबा .... में नाजायज कब्जा कर ~~काश्त कर~~ ली। अप्रार्थी को धारा ~~90~~/91 के तहत नोटिस .... जारी किया जावे ~~एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को मौका कुर्क कर~~ हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।	8/2/18
8/2/18	[illegible]	[illegible]

[illegible]
TPP
12/5/18

नायब

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्याः 11 /2018 दिनांकः 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का .... ने रिपोर्ट (पी–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल .... पुत्र .... जाति .... साकिन .... ने ग्राम .... के खसरा नं0 170 .... रकबा 0.02 .... बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिकमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल .... पुत्र श्री .... जाति .... साकिन .... ग्राम .... खसरा नं0 170 .... रकबा 0.02 .... बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 0.06 .... का 50 गुणा रूपये 03/- .... शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 .... को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार~~(राजस्व)~~
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner